राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस—नोट :—

दिनांक :— 08.09.2014

आयोग द्वारा दिनांक 04.06.14 एवं 05.06.14 को आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी के पेपर I, II, III, IV की उत्तर कुंजियाँ आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 05.06.14 को जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों से करवा कर संशोधित द्वितीय उत्तर कुंजियाँ दिनांक 28.07.14, 08.08.14, 07.08.14, 12.08.14 जारी कर पुनः आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी। प्राप्त आपत्तियों की जांच विशेषज्ञों से करवा कर अंतिम उत्तर कुंजियाँ आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 08.09.14 को जारी कर दी गयी है, यदि किसी अभ्यर्थी को अब भी कोई आपत्ति हो तो प्रेस — नोट जारी करने की दिनांक से 04 दिन की अवधि अर्थात् 12.09.14 तक आपत्ति, दो प्रामाणिक (Authentic) पुस्तकों के प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, आपत्ति आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत की जावे। निर्धारित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्न — पत्र हेतु अलग — अलग आपत्ति प्रपत्र में प्रस्तुत की जावे। आपत्तियों के साथ दो प्रामाणिक (Authentic) पुस्तकों के प्रमाण संलग्न नहीं होने, निर्धारित प्रपत्र पर नहीं होने की स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा। चार दिन पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा वर्तमान में जारी की जा रही उत्तर कुंजियों के आधार पर उक्त परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकेगा।

(ईश्वरी दत्त शर्मा)
उप सचिव